संख्याः 17/2020/1405/77-6-20-13(एम)/12(ए)

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 11 जून, 2020**

विषयः 'इनवेस्ट यू0पी0' उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेन्सी (Uttar Pradesh Investment Promotion & Facilitation Agency) के गठन के संबंध में।

महोदय,

मार्च 2017 में प्रदेश में नई सरकार के गठन के पश्चात प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के कई कदम उठाए गए। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 तथा कई क्षेत्र विशेष (Sectoral) नीतियों का प्रख्यापन किया गया।

2- मार्च, 2017 से अब तक प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगीकरण में तेजी लाने तथा अधिक से अधिक निवेशको आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गयी और नए निवेश में और अधिक तेजी लाने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार किया गया ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न हो सके और प्रदेश के आर्थिक विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। प्रदेश में निवेश हेतु एक सुरक्षा का वातावरण प्रदान करने, लैण्ड बैंक में तेजी से वृद्धि करने, उद्योगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप स्किल मैनपावर उपलब्ध कराने तथा कनेक्टिविटी में एक्सप्रेसवेज और इण्टरनेशनल एयरपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू करने के साथ-साथ यह भी आवश्यक पाया गया है कि एक डेडीकेटेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन तथा फैसिलिटेशन एजेन्सी की स्थापना की जाए। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए बिजनेस रिफार्म्स एक्शन प्लान (BRAP 2017) में संस्तुति बिन्दु 176 में यह कहा गया है कि हर राज्य में एक डेडीकेटेड सिंगल विन्डो एजेन्सी स्थापित की जाए जो प्रदेश में व्यवसाय स्थापित करने के लिए Sole Point of Contact हो।

3- इन्वेस्टमेण्ट प्रमोशन तथा फैसिलिटेशन एजेंसी के संस्थागत ढांचे को एकीकृत रूप से भारत सरकार की संस्तुति के अनुसार बनाए जाने की दृष्टि से 'इनवेस्ट यूपी' के नाम से उत्तर प्रदेश में एक नई संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। **'इनवेस्ट यूपी'** की स्थापना उद्योग बन्धु को अपग्रेड व सुदृढ़ करते हुए तथा इस नई संस्था के लिए प्रोफेशनल मैन पावर की व्यवस्था करते हुए एक सम्यक संगठनात्मक ढांचा बनाया गया है।

संस्था 'इनवेस्ट यूपी' के प्रमुख फीचर्स निम्नलिखित हैं :-

i. इसके गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की जाएगी। इसके अन्य सदस्यों का विवरण आगामी प्रस्तर में किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ii. कार्यकारी स्तर पर निर्देश देने, अन्तर्विभागीय समन्वय बनाने तथा अनुश्रवण हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक संचालन समिति कार्य करेगी।

iii. जहॉ एक ओर निवेश मित्र, ईज आफ डुईंग बिजनेस, इन्सेन्टिव मैनेजमेंट तथा अन्तर्विभागीय समन्वय के कार्य-कलाप विभिन्न विभागों के सहयोग से किए जाएंगे वहीं दूसरी ओर निवेश प्रोत्साहन, ब्रांडिंग तथा पब्लिक रिलेशंस व इकोनामिक तथा मार्केट इन्टलीजेन्स एण्ड रिसर्च के कार्य-कलाप निजी क्षेत्र से लिए गए सम्बन्धित औद्योगिक सेक्टर के विशेषज्ञों की टीम द्वारा एक चीफ आपरेटिंग आफिसर के नेतृत्व में किए जाएंगे।

iv. इस संस्था का मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रदेश सरकार का एक ऐसा पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिकारी होगा जिसके अधीन चीफ आपरेटिंग आफिसर को कार्य करने में आवश्यक आटोनामी (autonomy) बनी रहे, परन्तु साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों से निवेश प्रोत्साहन हेतु आवश्यक समन्वय भी स्थापित हो।

v. इनवेस्टमेंट प्रमोशन तथा फैसिलिटेशन के कार्य-कलापों को एक ही संस्था में इस सुविचारित मत के साथ रखा जा रहा है कि सम्पूर्ण निवेश साइकिल के विभिन्न चरणों में आउटकम प्राप्त करने के लिए एकाउन्टबिलिटी सुनिश्चित की जा सके और निवेश साइकिल के विभिन्न चरणों में जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनको एक साथ संस्थागत (institutionalise) किया जा सके। निवेश प्रोत्साहन के क्रिया-कलापों को यदि अलग रखा जाता है तो परिणाम आधारित जबावदेही (outcome based accountability) सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी।

vi. इस संस्था के संचालन में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विभिन्न स्तरों पर परिणाम आधारित जबावदेही (outcome based accountability) रहे।

vii. 'इनवेस्ट यूपी' द्वारा विभिन्न सेक्टरों के महत्वपूर्ण विभागों को प्रोफेशनल सहायता उपलब्ध करायी जा सकेगी। यह भी प्रस्तावित है कि लखनऊ के साथ-साथ प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों व मण्डलीय मुख्यालयों में भी इस संस्था के प्रतिनिधि प्राधिकरणों को तथा मण्डलायुक्तों को निवेश प्रोत्साहन तथा फैसिलिटेशन के क्षेत्र में प्रोफेशनल सहायता प्रदान करेंगे और निवेशकों को आवश्यक ग्राउन्ड सपोर्ट भी प्रदान की जा सकेगी।

4- अतः वर्तमान परिदृश्य में प्रदेश में औद्योगिक विकास को त्वरित गति देने तथा उद्यमी को न्यूनतम अवधि में विभिन्न सुविधाएं, स्वीकृतियां/अनापत्तियों/ अनुमोदनादि उपलब्ध कराने, आवश्यक औपचारिकताओं को उनके द्वारा शीघ्र पूर्ण किए जाने में उनकी यथोचित सहायता करने, उद्यमी की प्रक्रियात्मक/नीतिगत समस्याओं के निराकरण हेतु एवं जटिल प्रक्रियाओं को समय-समय पर सरलीकरण कर प्रदेश की आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेन्सी (Uttar Pradesh Investment Promotion & Facilitation Agency) का गठन किया गया है।

उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी के ढांचे में गवर्निंग बोर्ड एवं संचालन समिति (Steering Committee) होगी जिसका स्वरूप एवं कार्य निम्नवत् है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गवर्निंग बोर्ड (Govering Board)

1	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2	औद्योगिक विकास मंत्री	उपाध्यक्ष
3	सूक्ष्म, लघु, मध्यम, उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री	उपाध्यक्ष
4	वित्त मंत्री	सदस्य
5	नगर विकास मंत्री	सदस्य
6	ऊर्जा मंत्री	सदस्य
7	मुख्य सचिव	सदस्य
8	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	सदस्य
9	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) वित्त विभाग	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) नियोजन विभाग	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य-सचिव
13	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) एम0एस0एम0ई0 विभाग	सदस्य
14	मा0 मुख्यमंत्री द्वारा नामित 4 उ0प्र0 में निवेश कर चुके उद्यमी/उद्योग जगत के प्रतिष्ठित तथा इच्छुक महानुभाव।	सदस्य
15	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, IPFA (वरिष्ठ आई.ए.एस) (पूर्ण कालिक)	सदस्य
16	प्रबन्ध निदेशक, पिकप	सदस्य

गवर्निंग बोर्ड के कार्य

- व्यवसाय के संचालन और आवंटन के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को फ्रेम करना तथा अनुमोदन प्रदान करना तथा संचालन समिति और इन्वेस्टमेण्ट प्रमोशन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी के लिए कार्य जो अन्यथा निर्दिष्ट नहीं हैं।
- इन्वेस्टमेण्ट प्रमोशन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक पदों का सृजन, अनुमोदन, उन्मूलन और पुनः पदनाम करना।
- इन्वेस्टमेण्ट प्रमोशन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी की दृष्टि, मिशन, उद्देश्यों और वार्षिक माइल स्टोन (Milestones) की स्वीकृति।
- संचालन समिति और इन्वेस्टमेण्ट प्रमोशन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी के कामकाज की निगरानी, पर्यवेक्षण और समीक्षा करना।
- उन सभी मुद्दों एवं विषयों पर विचार करना जिन्हें संचालन समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है और बोर्ड के स्वीकृति की आवश्यकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- स्टीयरिंग कमेटी के कार्य एवं शक्तियों तथा इन्वेस्टमेण्ट प्रमोशन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी के सीईओ की शक्तियों एवं कार्यों में सुधार करना/परिवर्तन करना/वृद्धि करना।

संचालन समिति (Steering Committee)

1	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) वित्त विभाग (द्वारा नामित)	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) ऊर्जा विभाग (द्वारा नामित)	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) पर्यावरण विभाग (द्वारा नामित)	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) श्रम विभाग (द्वारा नामित)	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) नियोजन विभाग (द्वारा नामित)	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) आवास एवं शहरी विभाग (द्वारा नामित)	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक विभाग (द्वारा नामित)	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) एम0एस0एम0ई0 विभाग (द्वारा नामित)	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) खाद्य प्रसंस्करण विभाग(द्वारा नामित)	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) पर्यटन विभाग (द्वारा नामित)	सदस्य
13	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा	सदस्य
14	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा	सदस्य
15	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा	सदस्य
16	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा	सदस्य
17	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, IPFA	सदस्य-सचिव
18	चीफ आपरेटिंग आफिसर (COO)	सदस्य
19	प्रबन्ध निदेशक, पिकप	सदस्य
20	आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग	सदस्य

संचालन समिति का कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निवेश प्रोत्साहन और सुविधा संबंधित

- निवेश संबंधी मामलों की शिकायतों की निगरानी, समीक्षा और समाधान करना।
- निवेश की प्रगति और उनकी सुविधा की स्थिति की समय-सीमा की निगरानी करना।
- परियोजनाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए विभागों/प्राधिकारिणों/ राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करना और सिफारिशें भेजना।
- जानबूझकर विलम्ब, निष्क्रियता या उत्पीड़न के मामले में संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हेतु सिफारिश करना।
- आवश्यकता पड़ने पर मामले को इन्वेस्टमेण्ट प्रमोशन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी के गवर्निंग बोर्ड या राज्य मंत्रिमंडल को संदर्भित करना।

इन्वेस्टमेण्ट प्रमोशन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी की फंक्शनिंग और नियम संबंधित

- अपने व्यवसाय के लेन-देन के लिए इस तरह की प्रक्रिया अपनाएं, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
- इन्वेस्टमेण्ट प्रमोशन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी की कार्यप्रणाली/प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन, निगरानी, पर्यवेक्षण और समीक्षा करना।
- इन्वेस्टमेण्ट प्रमोशन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक योजनाओं उद्देश्यों विशेष परियोजनाओं को मंजूरी।
- अपनी किसी भी शक्तियों को जब आवश्यक हो, इन्वेस्टमेण्ट प्रमोशन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी की संचालन समिति/सीईओ /सीओओ के अध्यक्ष को सौंपें।
- इन्वेस्टमेण्ट प्रमोशन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी की ऑडिट रिपोर्ट सहित वार्षिक बजट, खातों और रिपोर्टों पर स्वीकृति एवं अनुमोदन करना।

प्रोत्साहन (Incentives) और मंजूरी (Clearances) संबंधित

- समय-समय पर राज्य में निवेश जीवनचक्र की समय-सीमा को सलाह (Prescribe) तथा समीक्षा (Review) करना तथा समय सीमा पार होने पर सरकारी कर्मियों और विभागों को दिए गए दंड की समीक्षा करना।
- अन्य विभागों/एजेंसियों/प्राधिकरणों के निवेश और प्रोत्साहन मंजूरी में आई रुकावटों को जोकि इन्वेस्टमेण्ट प्रमोशन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी द्वारा अग्रेषित की गई हैं, का समाधान करना।

एचआर (HR) और भर्ती संबंधित

- इन्वेस्टमेण्ट प्रमोशन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी में सीओओ की भर्ती एवं नियुक्ति के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करना।
- इन्वेस्टमेण्ट प्रमोशन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी के कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति की प्रक्रियाओं के स्तर को निर्धारित करना एवं अनुमोदन के स्तर के संबंध में सुझाव देना।
- इन्वेस्टमेण्ट प्रमोशन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी के लिए विभिन्न संबंधित विभागों से प्रतिनियुक्ति पर विभागीय कर्मचारियों को ऑनबोर्ड करने के लिए सुविधा और अनुवर्ती (follow-up) करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- Investment Promotion & Facilitation Agency के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया के विवरण के लिए संचालन समिति अधिकृत होगी।

6- यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे इसमें संशोधन अथवा अतिक्रमण की आवश्यकता होती है, तो ऐसे संशोधन/अतिक्रमण को अनुमोदित करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

7- एजेंसी को शीघ्र संचालित करने के लिए जो भी आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे उसके लिए मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

8- संस्था का कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 32 करोड़ आंकलित है, जबकि वर्तमान में उद्योग बन्धु का व्यय लगभग रू0 12 करोड़ वार्षिक आता है। संस्था हेतु 50 प्रतिशत की धनराशि राज्य सरकार से तथा अवशेष धनराशि प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से करायी जाएगी।

भवदीय,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्याः17/2020/1405(1)/77-6-20-13(एम)/12(ए) तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समिति के समस्त सदस्यगण।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक, पिकप।
8. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/यूपीसीडा।
10. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in